लगातार पूछे गए प्रश्न (एफ.ए.क्यु)

1. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों के लिए निर्धारित रेटिंग क्या है ?
वे रेटिंग है – अ, अव, व और एस।

2. क्या फिल्म के वीडियो और सी.डी रूपान्तरण का प्रमाणीकरण ज़रूरी है
हां, प्रमाणीकरण की ज़रूरत है।

3. लंबी और लघु फिल्म का अन्तर क्या है
सेलुलॉयड रूपान्तरः 2000 मीटरों (35 मी.मी) से अधिक लंबाई वाले कोई भी फिल्म लंबी फिल्म है।
वीडियो रूपान्तरः 70 मिनिट से अधिक समय वाले कोई भी फिल्म लंबी फिल्म है।
उपर्युक्त से कम लंबाई/समय वाले फिल्में लघु फिल्म है।

4. प्रमाणन के लिए किस क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए
केवल उसी क्षेत्रीय कार्यालय में फिल्म प्रमाणन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना है जहां उक्त फिल्म का निर्माण किया गया है। फिल्मों के निर्माण-स्थान की परिभाषा के लिए निम्नलिखित दो शर्ते हैः-
(i) फिल्म निर्माण शुरू होने के पूर्व शीर्षक पंजीकरण के लिए प्रस्तुत प्रोड्युसर एसोसिएशन कौंसिल/चैंबर का स्थान। एक से अधिक कौंसिल /एसोसिएशन में शीर्षक पंजीकरण के मामले में, केवल पूर्वतम पंजीकरण को मान्यता दी जाएगी।
(ii) फिल्म निर्माण कंपनी के प्रधान/क्षेत्रीय/निर्माण कार्यालय का स्थान

5. विविध क्षेत्रीय कार्यालयों का अधिकार-क्षेत्र क्या है

क्रम सं	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान	जहां फिल्में आयातित या निर्मित की गई है
1	बेंगलूर	कर्नाटक राज्य
2	मुंबई	गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य तथा दादर और नगर हवेली तथा दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र
3	कोलकाता	बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र
4	कटक	उडीसा राज्य
5	दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मु-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य और चण्डीगढ तथा दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र

6	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश राज्य
7	चेन्नई	तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र
8	तिरुवनंतपुरम	केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र
9	गुवहाटी	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नैगालंड, सिक्किम और त्रिपुरा

6. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में फिल्म प्रमाणन हेतु आवेदन करने केलिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है ?

भारतीय फीचर फिल्म

1. आवेदन पत्र दो प्रतियों में
2. आवेदन और सारांश के विवरण से युक्त एक फ्लॉपी
3. फिल्म के पूर्ण सारांश की 8 प्रतियां अंग्रेजी में
4. गीत, यदि कोई हों, की 8 प्रतियां, रील नंबर सहित (ट्रेलर की दशा में गीत रूप रेखा की 8 प्रतियां)
5. 8 प्रतियां फिल्म के पूरे क्रेडिट टाइटल्स
6. लैब लेटर पर यथाविधि आधारित फिल्म की रील वाईज लंबाई. दो प्रतियों में
7. एक शूटिंग स्क्रिप्ट
8. शुल्क दो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान किया जाना चाहिए, सेंसर शुल्क ड्राफ्ट, क्षेत्र के निर्धारित लेखा अधिकारी के पक्ष में तथा सेस शुल्क ड्राफ्ट, अध्यक्ष, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई के पक्ष में, ड्राफ्ट केवल राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरण योग्य।
9. लैब लेटर, घोषित करते हुए फिल्म तैयार है
10. संशोधित संस्करण की दशा में,
11. संबंधित चैंबर, संगठन, कौंसिल, जहां कि शीर्षक पंजीकृत किया गया था, से शीर्षक पंजीकरण पत्र
12. पब्लिसीटी क्लियरेंस प्रमाणपत्र

भारतीय लघु फिल्में

1. आवेदन पत्र दो प्रतियों में
2. आवेदल और सारांश के विवरण से युक्त एक कैसेट
3. फिल्म के पूर्ण सारांश की 5 प्रतियां अंग्रेजी में
4. स्क्रिप्ट/कमेंटरी की एक प्रति
5. डिमांड ड्राफ्ट के जरिए शुल्क, क्षेत्र के निर्धारित लेखा अधिकरी के पक्ष में, ड्राफ्ट केवल राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरण योग्य
6. लेटर हेड पर इस आशय की उद्घोषणा(भाषारूपान्तरण की दशा में) की भाषा रूपान्तरण, मूल प्ररूप के

अनुरूप है और कमेंटरी समान है

6. लैब लेटर, फिल्म की रील वाईज लंबाई. प्रमाणित करते हुए और घोषित करते हुए कि फिल्म तैयार है।

आयातित लघु फिल्मेः

1. आवेदन पत्र दो प्रतियों में
2. आवेदन और सारांश के विवरण से युक्त एक फ्लॉपी
3. प्रमाणन के लिए नियमानुसार शुल्क, डिमांड ड्राफ्ट क्षेत्र के निर्धारित लेखा अधिकारी के पक्ष में ड्राफ्ट केवल राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरण योग्य।
4. मूल निर्माता/कॉपी राईट धारक/आयातक इत्यादि से अधिकारी पत्र या समझौते की एक प्रति
5. आयातक/आवेदक के नाम से फिल्म/वीडियो के आगमन की सूचना देते हुए, कस्टम कॉल मीमो की एक प्रमाणित प्रति
6. बिल ऑफ एन्ट्री की एक प्रमाणित प्रति
7. फिल्म/वीडियो की खरीदी से संबंधित क्रयादेश,बीजक इत्यादि की एक प्रमाणित प्रति
8. प्रत्येक फिल्म/वीडियो के लिए आयातक/आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर यथाविधि हस्ताक्षरित सारांश की 5 प्रतियां अंग्रेजी में
9. आवेदक/आयातक द्वारा सभी पृष्ठों पर यथाविधि-हस्ताक्षरित स्क्रिप्ट/कमैंटरी की एक प्रति के.फि.प्र.बो केवल ओ.जी.एल के जरिए बिल ऑफ एन्ट्री के प्रस्तुतीकरण पर फिल्म/वीडिय़ो के प्रमाणन के लिए आवेदन स्वीकार करेगा।

7. फिल्म प्रमाणन की फीस-ढांचा क्या है ?

प्रमाणन शुल्क की सारणी

सेलुलायड फिल्में

लंबाई	गेज	प्रमाणन शुल्क (शैक्षणिक के अतिरिक्त)	प्रमाणन शुल्क (शैक्षणिक फिल्में)	स्क्रीनिंग शुल्क
300	16 मी.मी 35 मी.मी 70 मी.मी सेलुलॉयड	1000	200	100
600		2000	400	200
900		3000	600	300
1200		4000	800	400
1500		5000	1000	500
1800		6000	1200	600
2100		7000	1400	700
2400		8000	1600	800
2700		9000	1800	900
3000		10000	2000	1000
3300		11000	2200	1000
3600		12000	2400	1000
3900		13000	2600	1000

4200		14000	2800	1000
4500		15000	3000	1000
4800		16000	3200	1000
5100		17000	3400	1000
5400		18000	3600	1000
5700		19000	3800	1000
6000		20000	4000	1000

वीडियो फिल्में

समय (मिनिट)	गेज	प्रमाणन शुल्क (शैक्षणिक के अतिरिक्त)	प्रमाणन शुल्क (शैक्षणिक फिल्में)	स्क्रीनिंग शुल्क
10	वीडियो	950	280	950
20		1850	560	200
30		3000	600	300
40		3700	740	400
50		4600	920	500
60		5500	1100	600
70		6400	1280	700
80		7400	1480	800
90		8900	1660	900
100		9200	1840	1000
110		10100	2020	1000
120		11000	2200	1000
130		12000	2400	1000
140		12000	2560	1000
150		13700	2740	1000
160		14700	2940	1000
170		15600	3120	1000
180		16500	3300	1000
190		17500	3500	1000
200		18300	3600	1000

फीचर फिल्मों के लिए समेकित सेस फीस निम्नप्रकार हैः-

भाषा	फीस की दरें
हिन्दी/अंग्रेजी	रू. 20,000/-
अन्य सभी भाषाएं	रू..10,000/-

8. लेखा अधिकारी कौन है ?

प्रादेशिक कार्यालय	नियुक्त लेखा अधिकारी
चेन्नई हैदराबाद तिरुवनंतपुरम और बैंगलूर	वेतन एवं लेखा अधिकारी दूरदर्शन केन्द्र चेन्नई - 5
कोलकाता, कटक	वेतन एवं लेखा अधिकारी दूरदर्शन केन्द्र कोलकाता
मुंबई	वेतन एवं लेखा अधिकारी फिल्म प्रभाग, पेडर रोड मुंबई
गुवहाटी	वेतन एवं लेखा अधिकारी दूरदर्शन केन्द्र गुवहाटी

9. काट-छाट अधिरोपित करते समय क्या-क्या सामग्री व दस्तावेज प्रस्तुत करना है ?

पिक्चर पोजिटिव/नेगटिव

साउंड पोजिटिव/नेगटिव

अधिरोपित काट-छाट की घोषणा

फिल्म को अव या व वर्ग में प्रमाणित किया गया है तो अव और व प्रमाणपत्र की स्वीकृति

फिल्म के प्रमाणित रूपान्तरण की वीडियो प्रति

वीडियो कैसेट सीलबद्ध करने संबंधि अधिकार-पत्र

10. प्रमाणन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है ?

विविध परिस्थितियों में लागू होनेवाली समय-सीमा का उल्लेख चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 में दिया गया है। जिन फिल्मों की कहानी व फिल्म का संकेत राज्य के कई महत्वपूर्ण मामले जैसे कि सुरक्षा या विदेशी संबंधों एवं ऐतिहासिक, भौगोलिक या चिकित्सा इत्यादि से संबंधित किसी विशेष विषय से हो उन फिल्मों की समय-सीमा भिन्न है । फिल्मों की समय-सीमा सामान्यतः निम्न प्रकार हैः-

आवेदन की संवीक्षा – 7 दिन

परीक्षण समिति का गठन – 15 दिन

परीक्षण समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष को अग्रेषित करने के लिए – 10 दिन

बोर्ड के निर्णय की सूचना आवेदक को देने के लिए

निर्माता द्वारा काट-छाट प्रस्तुत करने के लिए – 14 दिन

काट-छाट की परीक्षण – 10 दिन

प्रमाणपत्र का जारी – 5 दिन

11. प्रमाणन के बाद कोई परिवर्तन/विलोपन कर सकते हैं ?

प्रमाणन के बाद फिल्म में लघु परिवर्तन तथा विलोपन कर सकते हैं। मूल प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्रादेशिक कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना हैः

नियम 33 के अन्तर्गत आवेदन (डूप्लिकेट में)

परिवर्तन की लंबाई को सत्यापित करते हुए लैब का पत्र

फिल्म में अधिरोपित काट-छाट/जोड/परिवर्तन के रीलों की सूची

जोड/परिवर्तन का वीडियो कैसेट

लेखा अधिकारी के नाम डिमॉड ड्राफ्ट बनाया गया हो। प्रत्येक जोड/परिवर्तन या काट-छाट के लिए प्रति रील रू.100/- शुल्क है। यदि रील में 300 मीटरों से अधिक लंबी जोड, अन्तर्वेशन या काट -छाट है तो उसे फीस की दृष्टि से अलग रील माना जाएगा।

12. डब फिल्मों के प्रमाणन के लिए क्या कार्यप्रणाली है ?

एक डब फिल्म को उसी क्षेत्र में प्रमाणित करना है जहां से मूल फिल्म का प्रमाणन किया है। उदाहरणार्थ एक मलयालम फिल्म को तिरुवनंतपुरम क्षेत्र से प्रमाणित करने के बाद केवल तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में ही तमिल, तेलुगु, हिंदी जैसी अन्य भाषाओं में डब रूपान्तरण का परीक्षण तथा प्रमाणन कर सकते हैं, अन्यथा नियम 21 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय से लिखित छूट प्राप्त करना आवश्यक है।

13. आयातित फीचर फिल्म कहां से प्रमाणित कर सकते हैं ?

आयात किए गए केंद्र से कर सकते हैं

14. प्रमाणन के बाद शीर्षक परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही है ?

सामान्यतः प्रमाणन के बाद शीर्षक का परिवर्तन नहीं कर सकते है। शीर्षक परिवर्तन के कारण को यदि प्रादेशिक अधिकारी उचित समझेंगे तो कर सकते हैं। फिल्म का थिएटर में रिलीज़ करने के बाद शीर्षक का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नियम 33 के अन्तर्गत आवेदन के साथ-साथ लेखा अधिकारी के नाम पर रू.100/- का डी.डी तैयार कर प्रस्तुत करना है। स्टैंप पेपर में यह घोषणा भी प्रस्तुत करना है कि उक्त फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया गया है। संबंधित संस्था से शीर्षक पंजीकरण प्राप्त करना है।

15. क्या टी.वी. के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रमाणन करते हैं ?

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड टी.वी. कार्यक्रमों और सीरियलों का प्रमाणन नहीं करते हैं। केबिल टेलिविशन नेटवर्क नियंत्रण अधिनियम 1995 के तहत केबिल टी.वी.नेटवर्क में प्रस्तुत कार्याक्रमों और विज्ञापनों के लिए विषय-वस्तु कोड/विज्ञापन कोड निर्धारित किया है। केबिल टेलिविशन नेटवर्क नियंत्रण

अधिनियम के तहत उल्लंघन अवेक्षणीय है इसलिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस बाबत शिकायत प्राप्त होना है।

16. क्या केबल टी.वी में अप्रमाणित फिल्मों का प्रदर्शन गैर-कानूनी है ?

जी हां, केबल टी.वी में केवल प्रमाणित फिल्में दिखाना चाहिए।

17. 'ए' अथवा 'युए' में प्रमाणित फिल्मों को 'यु' में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही है ?

कोई भी फिल्म को उसी रूपान्तर में पुनःप्रमाणित नहीं कर सकते हैं। संशोधन के बाद सेलुलॉयड फिल्मों को वीडियो रूपान्तर में पुनःप्रमाणित कर सकते हैं। आवेदक अथवा एक व्यक्ति जिसे अधिकार प्राप्त है, वे वीडियो रूपान्तर में पुनःवर्गीकृत करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बोर्ड उसे नए फिल्म की तरह परीक्षण करेंगे।

फिल्मों को 'यु' में पुनःवर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना हैः-

आवेदन फार्म डूप्लिकेट में
स्क्रिप्ट के साथ स्वैच्छिक काट-छाट की सूची को चिह्नित करते हुए
स्वैच्छिक काट-छाट की सूची, लंबाई व चालन समय के साथ (5 प्रतियां)
मूल रूपान्तर को जारी किए गए सेंसर प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
प्रसारण अधिकार की प्रतिलिपि
प्रमाणन शुल्क, डी.डी के जरिए (क्षेत्र के लेखा अधिकारी के नाम)
डी.वी.डी(स्वैच्छिक काट-छाट करने के बाद) फिल्म के चालन समय के अनुसार संपूर्ण डी.वी.डी में टाइम-स्लोट निहित हो या डि.वि.डि में रील बदलते हुए ठीक तरह से दिखाई दे रहे हो। डि.वि.डि के शुरुआत में स्वैच्छिक काट-छाट अलग से दिखाई देना चाहिए
शुल्कः नए फिल्म के लिए निर्धारित दरों के अनुसार
कल्याण सेस शुल्क नहीं है।

18. 'ए ' अथवा 'युए ' में प्रमाणित फिल्मों को 'यु' में परिवर्तन करने के लिए निर्धारित सीमा क्या है ?

जी हां, कई फिल्मों की कथानक वयस्कों से संबंधित होने के कारण मूलतः उन फिल्मों को 'ए ' या 'युए ' में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी फिल्मों को टी.वी में प्रसारित करने के लिए 'यू ' में पुनः प्रमाणित नहीं कर सकते हैं।

19. पोर्नोग्राफी बिट्स दिखानेवाले थिएटरों के विरूद्ध कौन कार्रवाई कर सकते हैं ?

चलचित्र अधिनियम के तहत अप्रमाणित फिल्मों का प्रदर्शन अपराध है। यह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। कार्रवाई शुरू करने के लिए स्थानीय पुलिस का इन्तजार करने की जरूरत नहीं है। संज्ञेय अपराध होने के कारण, कोई भी जिम्मेदार नागरिक व संगठन द्वारा पुलिस में शिकायत पेश कर सकते हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस को कार्रवाई प्रारंभ करना है। यदि पुलिस स्टेशन में एफ.आय,आर दर्ज करने की अनुमति नहीं मिला तो, नियम के तहत, जिला पुलिस अधीक्षक के पास

एफ.आय.आर दर्ज करना पर्याप्त है। सिनेमा-घरों का अनिज्ञप्त प्राधिकारी जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त होते है। देश के कई राज्यों में चलचित्र अधिनियम के उल्लंघन करनेवाले सिनेमाघरों के लाइसेंस को लंबित या रद्द करना का नियम है।

20. क्या एक फिल्म के ऑडियो कैसेट का प्रमाणन करना जरूरी है ?

फिल्म के प्रोमोशन के लिए थिएटर में रिलीज़ करने के बहुत पहले ही बहुथा ऑडियो सीडी रिलीज़ करते हैं। ऑडियो सीडी को प्रमाणित करने केलिए अब तक कोई नियम निर्धारित नहीं किया है।

21. फिल्म अपलीय अधिकरण (एफ.सी.ए.टी) का शुल्क क्या है ?

लंबी फिल्मः रू.750/- फिल्म की लंबाई व गेज पर विचार किए बिना
लघु फिल्मः रू.100/- फिल्म की लंबाई व गेज पर विचार किए बिना

22. पैनल एवं बोर्ड सदस्यों को थिएटर में जाने की अनुमति है ?

अधिनियम की धारा 7ञ के अनुसार, पैनल व बोर्ड सदस्यों को लोक सेवक माना जाता है। नियम 37 के तहत, अध्यक्ष या बोर्ड या सलाहकार पैनल का कोई सदस्य या बोर्ड का प्रादेशिक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या बोर्ड के कर्मचारीवृन्द का कोई सदस्य या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है या अपील अधिकरण का सदस्य या कोई अधिकारी या कर्मचारीवृन्द का कोई सदस्य या अपील अधिकरण का सदस्य या कोई अधिकारी या कर्मचारीवृन्द का सदस्य या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जिसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, सिनेमा संबंधि किसी प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञप्त किसी स्थान में अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपना कर्तव्यों के निर्वहन में प्रवेश कर सकेगा और तदुपरी ऐसे स्थान का स्वामी या प्रबन्धक फिल्म देखने के लिए उसके लिए उच्चतम वर्ग या उससे ठीक नीचे के वर्ग में एक स्थान की प्रवेश शुल्क और मनोरंजन कर लिए बिना व्यवस्था करेगा।

23. विज्ञापनों के प्रदर्शन के समय प्रमाणपत्र का वर्गीकरण दिखाना जरूरी है
नियम 38 के तहत एक फिल्म को युए, ए या एस में प्रमाणित करने के बाद अखबार, होर्डिंग, पोस्टर, ट्रेलर इत्यादि में दिए जानेवाले विज्ञापनों के शुरुआत में प्रमाणपत्र की वर्ग की जानकारी देना चाहिए। चलचित्र अधिनियम के तहत प्रमाणपत्र की जानकारी न देना अपराध है।

24. अन्तर्वेशन के लिए कौन जिम्मेदार है
अन्तर्वेशन के लिए फिल्म प्रदर्शित करनेवाला या प्रदर्शन करने की अनुमति देनेवाला व्यक्ति जिम्मेदार है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अन्तर्वेशन के दृश्यों में मूल फिल्म के कथापात्र भी शामिल है या नहीं। यदि है, तो अन्तर्वेशन के लिए निर्माता और वितरक भी जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 7(ख) के तहत कोई व्यक्ति, कानूनी अधिकार के बिना, प्रमाणन के बाद फिल्म का फेरफार करना या बिगाडना

अपराध है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रमाणित फिल्म का फेरफार या बिगाडने के कृत्य को कानूनी सिद्ध करने की जिम्मेदारी केवल उस व्यक्ति का है।

25. निर्माता ने यदि फिल्म का कट-लिस्ट वितरक को नहीं दिया तो क्या कार्रवाई की जाती है इसका उल्लंघन करना चलचित्र अधिनियम की धारा 6 क के तहत दण्डनीय है।